निर्णय प्रकाशन हेतु दिनांक 8.7.16 को किया है।

-6-16 पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अभियान 2016 के दौरान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय-सुन्दरपुर पर पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में वादीगण की ओर से पूर्व नियुक्त अभिभाषक के स्थान पर अन्य अभिभाषक नियुक्त करना जाहिर कराते हुए वादी संख्या 5, 8, 27 की तरफ से दिनांक 10.8.15 को श्री राहुल पंचोली अभिभाषक का वकालातनामा पेश हुआ तथा शेष वादीगण की ओर से वकालातनामा लम्बे अन्तराल के बाद आजदिनांक तक पेश नहीं हुआ। प्रकरण में वादीगण की ओर से नियत पेशी पर न तो स्वयं उपस्थित होते है एवं न ही उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित होते है। अत: मुकदमा पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाकर वादी संख्या 5,8,27 को पृथक से वाद प्रस्तुत करने स्वतन्त्र होने पाबन्द किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

पवन